कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति "अ" श्रेणी रावतसर (हनुमानगढ़)

कार्यालय टिप्पणी

विषयः- राईका की ढाणी से रणासर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में

कृषि विपणन निदेशालय जयपुर के पत्रांक 33505-10 दिनांक 23.12.14 द्वारा मिसिंग लिंक रोड गांव राईका की ढाणी से रणासर तक 2.50 KM के निर्माण हेतु 86.25 लाख रू. की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी, उक्त सड़क के निर्माण के रास्ते में वन विभाग की भूमी खसरा नं. 803 में पड़ती है सड़क निर्माण के लिए वन विभाग की पड़ने वाली भूमि के रास्ते की न्यूनतम दूरी का कोई रास्ते हेतु दूसरा विकल्प नहीं है, राईका ढाणी से रणासर तक सड़क निर्माण के रास्ते के लिए वन विभाग से 0.38 हैक्टर भूमि प्राप्त की जानी है. जिसके लिए वन विभाग को वृक्षारोपण की क्षतिपूर्ति राशि एवं भूमी की एन. पी. वी की राशि का भुगतान किया जाना होगा अतः वन विभाग से भूमि प्राप्त की जानी आवश्यक है अन्यथा अब तक सड़क निर्माण पर हुई व्यय राशि व्यर्थ हो जावेगी। अतः उचित आदेशार्थ प्रस्तुत है

दयाराम

सचिव महोदय

प्रस्ताव लेने एवं इसके उपरान्त वन विभाग को दी जाने वाली राशि की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु जयपुर भिजवाने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है

अध्यक्ष महोदया

शाखा ... नि. [illegible]

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति "ब" श्रेणी रावतसर

18-5-16

प्रस्ताव संख्या :- 118 दिनांक :- 18.05.16

विषय :- राईका ढांणी से राणासर तक सड़क निर्माण के सम्बंध में।

सचिव ने अध्यक्ष महोदया को अवगत करवाया कि कृषि विपणन निदेशालय जयपुर के पत्रांक 33505-10 दिनांक 23.12.14 द्वारा मिसिंग लिंक रोड़ गांव राईका की ढाणी से राणासर तक 2.50 किलोमीटर के निर्माण हेतु 86.25 लाख रू की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी, उक्त सड़क का निर्माण कार्य स्वीकृत रास्ते पर न्यायीक कार्यवाही लम्बित होने के कारण उक्त सड़क का निर्माण कार्य काफी समय से बन्द पड़ा है। इस पर मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़क पर हुई व्यय राशि का कोई लाभ स्थानिय किसानों को नही प्राप्त हो रहा है। सड़क निर्माण के लिये अलग रास्ते के लिये वन विभाग की खसरा नम्बर 803 में भूमि पड़ती है। सड़क निर्माण के लिये वन विभाग की पड़ने वाली भूमि के रास्ते की न्यूनतम दुरी का कोई रास्ते हेतु दुसरा विकल्प नही है। राईका ढांणी से राणासर तक सड़क निर्माण के रास्ते के लिए वन विभाग से 0.38 हैक्टर भूमि प्राप्त की जानी है, जिसके लिये वन विभाग को वृक्षारोपण की क्षतिपूर्ति राशि एवं भूमि की एन पी बी की राशि का भुगतान किया जाना होगा।

अतः विचार विमर्श के पश्चात वन विभाग से 0.38 हैक्टर भूमि प्राप्त की जावे तथा वन विभाग द्वारा उक्त भूमि एवं इस पर लगे वृक्षारोपण की जितनी राशि की मांग वन विभाग द्वारा की जाती है। उसका भुगतान मण्डी कोष से करने का प्रस्ताव पारित कर, स्वीकृति हेतु कृषि विपणन निदेशालय जयपुर को भेजने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष
कृषि उपज मण्डी समिति
रावतसर

प्रमाणित
सचिव
कृ.उ.म.स.
रावतसर

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
रावतसर

E-mail id – kums.rawatsa@rajasthan.gov.in Phone no- 01537-250055 Fax no 01537-250991